09/6/26	पत्रावली पास्ते निर्णय पेश हुई उपस्थ्त उप.। प्रा.पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र जारी हो नंबर से क्र हो निर्णय सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/601

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 261/2024 GCMS-2024/601 दायर दिनांक : 01.10.2024

श्योपारी पत्नी स्व. मनीराम कौम हरिजन साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –प्रार्थीया

बनाम

1. रामस्नेही पुत्री खेताराम जाति बिश्नोई साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
3. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा जैतसर तहसील श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) जन. कोलो. कण्डीशन, कोलो. एक्ट एवं धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थीया
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थीया सं. 1
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 09.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षिप्त तथ्य विचारण पत्रावली इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) कोलो. एक्ट एवं धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 65/64 के पत्थर नं. 104/398 (41) के किला नं. 12, 19 से 22, 24 = 1.518 है0 व पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 1, 10, 11, 16, 20, 21, 25 = 1.771 है0 व पत्थर नं. 106/398 (39) के किला नं. 4 से 7, 15, 16, 25/2 = 1.733 है0, कुल 5.022 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें से पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 16, 25 = 0.506 है0 व पत्थर नं. 104/398 (41) के किला नं. 12, 19 से 22, 24 = 1.518 है0 में प्रार्थीया आने–जाने व काश्त करने के लिए पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 22 से 24 में से होकर गुजरती है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीया सं. 1 के नाम दर्ज है, इसलिए

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थीया ने चक 7 एस.डी. के पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 22 से 24 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिणी पासा में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीया डी.एल.सी. दर से राशि देने के लिए तैयार है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर मौका जांच कर अभिशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को मूल प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया गया। विधि अनुरूप जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आए एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया के विरुद्ध पूर्व में एक प्रार्थना–पत्र 140/2022 इन्हीं नियमों व धाराओं के अन्तर्गत इस अदालत में प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 22.08.2022 को इसी अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थीया ने कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त आदेश आज भी कायम है, इसलिए प्रार्थीया सी.पी.सी. की धारा 11 से प्रतिबन्धित होने से प्रार्थना–पत्र सुनवाई योग्य नहीं है। रास्ता स्वीकृति का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रास्ता स्वीकृति से अप्रार्थीया की जोत कम हो जावेगी। वैकल्पिक रूप से चक 7 एस.डी. के पत्थर नं. 105/398 के किला नं. 21 से 25 व पत्थर नं. 104/398 के किला नं. 21 से 25 पत्थर लाईन के चिपते हुए रास्ता स्वीकृति की सहमति दी। जवाब अप्रार्थी आने के पश्चात् तर्क सुने गए।

अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम वाके चक 7 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 65/64 के पत्थर नं. 104/398 (41) के किला नं. 12, 19 से 22, 24 = 1.518 है0 व पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 1, 10, 11, 16, 20, 21, 25 = 1.771 है0 व पत्थर नं. 106/398 (39) के किला नं. 4 से 7, 15, 16, 25/2 = 1.733 है0, कुल 5.022 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, इसमें से पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 16, 25 = 0.506 है0 व पत्थर नं. 104/398 (41) के किला नं. 12, 19 से 22, 24 = 1.518 है0 में आने–जाने के लिए प्रार्थीया को रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए अप्रार्थीया सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से चक

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

7 एस.डी. के पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 22 से 24 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिणी पासा में रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की। साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थीया के धारण में पत्थर नं. 105/398 में किला नं. 2 से 4, 6 से 9, 12 से 15, 17 से 19, 22 से 24 = 4.301 है0 कमाण्ड भूमि है, इसलिए रास्ता स्वीकृति से उसकी जोत कम होने का तर्क मान्य नहीं है। प्रार्थीया को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है। यह उभय पक्ष भी स्वीकार करते हैं। साथ ही निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में विचारण बिन्दु पर निर्णय नहीं किया गया, इसलिए धारा 11 सी.पी.सी. लागू नहीं है।

अभिभाषक अप्रार्थीया सं. 1 ने तर्कों का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा पूर्व में भी इसी अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त कर दिया गया, इसलिये धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान प्रभावशील होते हैं, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया निरस्ती योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता स्वीकृति उचित नहीं है, क्योंकि इससे काश्तकार की जोत, जो पूर्व में ही कम है, और कम हो जावेगी। साथ ही सुझाव दिया कि चक 7 एस.डी. के पत्थर नं. 105/398 व 104/398 के किला नं. 21 से 25 में दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है, उसे स्वीकृत किया जावे। इसी अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया निरस्त करने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त पाया कि तहसील (राजस्व) सूरतगढ़ ने पूर्ण जांच कर यह माना है कि प्रार्थीया को रास्ता स्वीकृति की अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक पहुंच बनाने के लिए अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। जहां तक धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सम्बन्ध है, पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अदम हाजरी में निरस्त हुआ है, उस पर धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सिद्धान्त प्रभावशील नहीं माना जा सकता। इस बिन्दु पर इस प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत विधिक आपत्ति के

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र में निर्णय भी किया जा चुका है। अप्रार्थीया द्वारा सुझाया गया रास्ता प्रथमतः 6 किलों का है, द्वितीय प्रभावित काश्तकारों को तलब करना होगा व विचारण में विलम्ब होने की सम्भावना है। अप्रार्थीया का यह तर्क भी मान्य नहीं है कि उसकी जोत बहुत कम है। उसकी जोत 4.301 है0 कमाण्ड भूमि है, इसमें 0.075 है0 से विशेष अन्तर की सम्भावना नहीं है। प्रस्तुत मौका नक्शा अनुसार प्रार्थीया को चक 7 एस.डी. के पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 16, 25 = 0.506 है0 व पत्थर नं. 104/398 (41) के किला नं. 12, 19 से 22, 24 = 1.518 है0 में आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। धारा 8 (2) उपनिवेशन शर्तों के प्रावधान उन्हीं काश्तकारों पर प्रभावशील होते हैं जब कृषि भूमि उपनिवेशन अधिनियम प्रभावशील होने से पूर्व की खातेदारी हो। इस मामले में यह प्रभावशील नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया रास्ता की भूमि की डी.एल.सी. दर से दोगुणी राशि जमा करवाए। इस शर्त पर अप्रार्थीया सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 105/398 (40) के किला नं. 2 से 4, 6 से 9, 12 से 15, 17 से 19, 22 से 24 = 4.301 है0 कमाण्ड भूमि में से किला नं. 22 से 24, प्रत्येक में 0.025 है0, कुल 0.075 है0 (इन किलाजात के दक्षिणी पासा में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार तहसील (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि रास्ता बाबत राशि प्रार्थीया द्वारा जमा करवाए जाने पर रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व राशि अप्रार्थीया सं. 1 को दी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 09.06.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 261 /2024 / 09.06.26/ 3589 दिनांक : 09.6..2026

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

विषय : प्रकरण सं. 261 / 2024 श्योपारी बनाम रामस्नेही व अन्य अन्तर्गत नियम 8 (2) जन. कोलो. कण्डीशन, कोलो. एक्ट एवं धारा 251 (क) आर.टी.ए. निर्णय दिनांक 09.06..2026 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत नियम 8 (2) जन. कोलो. कण्डीशन, कोलो. एक्ट एवं धारा 251 (क) आर.टी.ए. इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया रास्ता की भूमि की डी. एल.सी. दर से दोगुणी राशि जमा करवाए। इस शर्त पर अप्रार्थीया सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 105 / 398 (40) के किला नं. 2 से 4, 6 से 9, 12 से 15, 17 से 19, 22 से 24 = 4.301 है0 कमाण्ड भूमि में से किला नं. 22 से 24, प्रत्येक में 0.025 है0, कुल 0.075 है0 (इन किलाजात के दक्षिणी पासा में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। निर्णय की पालना में रास्ता बाबत राशि प्रार्थीया द्वारा जमा करवाए जाने पर रिकॉर्ड में अंकन किये जाने व राशि अप्रार्थीया सं. 1 को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)